



## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़, (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या:-38/2019

दायर दिनांक:-03.06.2019

1. जगद्गुरु निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर श्री श्यामशरणदेवाचार्य श्रीजी महाराज शिष्य अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर श्रीराधासर्वेश्वरशरण देवाचार्य श्री श्रीजी महाराज निवासी श्री निम्बार्काचार्यपीठ निम्बार्कतीर्थ सलेमाबाद, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर राजस्थान।

---प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़।

---अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम बाबत राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती हेतु**

निर्णय

दिनांक:-25.11.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने पंजीकृत सामान्य अधिकार प्रलेख में छः व्यक्तियों को सामान्य अधिकार पत्र दिया है जो तहसील कार्यालय किशनगढ़ से पंजीकृत है। उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए सामान्य अधिकार पत्र धारक 1. श्रीमाधवशरण आयु 77 वर्ष शिष्य अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर श्रीराधासर्वेश्वरशरण देवाचार्य श्री श्रीजी महाराज जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सलेमाबाद तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर 2. श्री ओमप्रकाश शर्मा आयु 46 वर्ष पुत्र श्री सीताराम शर्मा/शिष्य अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर श्रीराधासर्वेश्वरशरण देवाचार्य श्री श्रीजी महाराज, जाति ब्राह्मण निवासी निम्बार्क नगर, अजमेर रोड, वार्ड नं० 12, हीरापुरा, जयपुर, जिला जयपुर को समस्त उक्त प्रार्थना पत्र की कार्यवाही के लिये अधिकृत किया गया है जो सामान्य अधिकार प्रलेख में उल्लेखित है। उक्त कृषि भूमि मंदिर के नाम पर कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि वाकै ग्राम करकेड़ी पटवार हल्का करकेड़ी भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करकेड़ी तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर में स्थित है। खाता संख्या नया 402 के खसरा नम्बर 638 रकबा 00 बीघा 09 बिस्वा किस्म चबूतरा, खसरा संख्या 639 रकबा 00 बीघा 07 बिस्वा, किस्म गै. मु. चाह, खसरा संख्या 695 रकबा 00 बीघा 04 बिस्वा किस्म गै.मु. चाह, खसरा संख्या 696 रकबा 00 बीघा 06 बिस्वा किस्म बंजर,, खसरा संख्या 705 रकबा 00 बीघा 15 बिस्वा किस्म गै. मु चाह कुल कित्ता 05 रकबा 02 बीघा 1 बिस्वा है। उक्त संपूर्ण कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड अनुसार मंदिर के नाम पर एकल कब्जे काश्त एवं खातेदारी में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के गुरु श्रीराधासर्वेश्वरशरण देवाचार्य श्री श्रीजी महाराज के नाम पर पहले हो रखी थी। जबकि प्रार्थी के गुरु श्री श्रीजी महाराज का देवलोक गमन हो गया है। इस कारण उनके स्थान पर राज्य सरकार के द्वारा जारी दिनांक-12.09.2018 के परिपत्र के अनुसार प्रार्थी वर्तमान जगद्गुरु निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर श्री श्यामशरणदेवाचार्य श्रीजी महाराज का राजस्व रिकॉर्ड में पुजारी या संरक्षक की हैसियत से इन्द्राज



उपखण्ड अधिकारी  
रूपनगढ़ (अजमेर)



गुरुजी करवाना चाहता है। प्रार्थी के गुरु श्रीराधासर्वेश्वरशरण देवाचार्य श्री श्रीजी महाराज को अपनी रजिस्टर्ड वसीयत में प्रार्थी वर्तमान में जगद्गुरु निम्बाकाचार्य पीठाधीश्वर श्री श्यामशरणदेवाचार्य श्रीजी महाराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। अतः प्रार्थी मंदिर की कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में पुजारी या संरक्षक के रूप में अपना नाम अंकन करवाना चाहता है। क्योंकि पूर्व में राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के गुरुजी श्रीराधासर्वेश्वरशरण देवाचार्य श्री श्रीजी महाराज के नाम को राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित कर दिया था जिसके पश्चात् राज्य सरकार के द्वारा दिनांक-12.09.2018 को जारी परिपत्र में मंदिर की भूमि में पुजारी या सरवराकार का नाम पुनः राजस्व रिकॉर्ड में अंकन का परिपत्र जारी किया गया है। जिसकी अनुपालना में उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में प्रार्थी के गुरुजी श्रीराधासर्वेश्वरशरण देवाचार्य श्री श्रीजी महाराज का नाम पूर्व में राज्य सरकार के आदेश के अनुसार मंदिर की भूमियों से मंदिर के पुजारी या सरवराकार के नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित कर दिये थे जिसके पश्चात् राज्य सरकार के द्वारा दिनांक-12.09.2018 को जारी परिपत्र के अनुसार मंदिर की कृषि भूमि में पुजारी या सरवराकार का नाम संरक्षक के रूप में पुनः दर्ज करने के लिए जारी परिपत्र की अनुपालना में माननीय न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी पुजारी की हैसियत से मंदिर भूमि में अपने कब्जे काश्त एवं मंदिर की खातेदारी भूमि पर बिजली कनेक्शन सहित अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने सहित मंदिर भूमि को सुरक्षित रखने के लिए माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ी। प्रार्थी की ओर से माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये जा रहे दस्तावेज जिसमें भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, आधार कार्ड, वसीयत, ग्राम पंचायत का सजरा प्रमाण पत्र तथा प्रार्थी के गुरुजी का गोलोकवास का प्रमाण पत्र एवं वकालतनामा के साथ सामान्य अधिकार प्रलेख की फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी का नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुआ। अप्रार्थी की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम करकेड़ी पटवार हल्का करकेड़ी भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करकेड़ी तहसील रुपनगढ जिला अजमेर की सेग्रिगेशन जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के खाता संख्या 417 पर खसरा नम्बर 638 रकबा 0.0728 है0, खसरा नम्बर 639 रकबा 0.0566 है0, खसरा नम्बर 695 रकबा 0.0323 है0, खसरा नम्बर 696 रकबा 0.0485 है0 वखसरा नम्बर 705 रकबा 0.1213 है0 मंदिर श्री गोपाल जी महाराज स्थान देह खातेदार गैर एतमाम मंदिर श्री श्रीजी महाराज वाके सलेमाबाद के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

ग्राम करकेड़ी का खसरा नं. 638 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नं. 639 रकबा 07बिस्वा, खसरा नं. 695 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नं. 696 रकबा 06 बिस्वा व खसरा नं. 705 रकबा 15 बिस्वा जमाबंदी संवत् 2047 से 2050 में खाता संख्या 69 पर मंदिर श्री गोपाल जी महाराज स्थान देह खातेदार गैर एतमाम मंदिर श्री श्रीजी महाराज वाके सलेमाबाद महन्त् श्री रामेश्वरदास जी सा. देह पुजारी के नाम

अपखण्ड अधिकारी  
रुपनगढ (अजमेर)


दर्ज था जिसमें जरिए नामान्तरकरण संख्या 386 स्वीकृत दिनांक 19.06.1992 से पुजारी श्री रामेश्वरदास जी का नाम विलोपित कर भूमि को मंदिर श्री गोपाल जी महाराज स्थान देह खातेदार गैर एतमाम मंदिर श्री श्रीजी महाराज वाके सलेमाबाद के नाम दर्ज किया गया जो इन्द्राज आदिनांक तक राजस्व रिकॉर्ड में यथावत चला आ रहा है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12.09.2018 में मंदिर की भूमि में पुजारी या सरवराकार का नाम पुनः राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने का परिपत्र में कोई उल्लेख नहीं है, केवल एक पृथक पंजिका बनाकर उसमें पुजारियों का नाम अद्यतन रखने के निर्देश प्रदान किए गए हैं।

वाद अधीन भूमि मंदिर माफी की भूमि है एवं मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है, इसलिए मंदिर मूर्ति की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में किसी का नाम जोड़ा जाना उचित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कराने की कृपा करावें।

हमने पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रुपनगढ को तहसील कार्यालय में इस बाबत संधारित की जा रही पृथक पंजिका में पुजारी का नाम अद्यतन रखने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 25.11.2021 को कैम्प कोर्ट प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय करकेड़ी में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये एवं शामिल पत्रावली किया गया।



  
उपमंडल अधिकारी  
रुपनगढ़ (अजमेर)